

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 175537 /

पटना, दिनांक 28/01/2014

S/O S/O-R.11019/153/2009-Sec-06

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी (भाओप्रओसेओ),  
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,  
बिहार ।

विषय:- RSETI की LAC की बैठक में समीक्षा किए जाने वाले बिन्दुओं के संबंध में ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में विभागीय पत्रांक- 163941 दिनांक- 23.09.2013 द्वारा आपको RSETI हेतु Local Advisory Committee (LAC) का गठन करने का निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है, जिसके आलोक में सभी जिलों में RSETI की LAC का गठन किया जा चुका है । RSETI की LAC से संबंधित बैठक प्रत्येक महीने की जानी है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी ।

1. प्रशिक्षण उपकरण तथा सामग्री ।
2. संस्थान की कार्यप्रणाली एवं उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने तथा आवेदनो के निरंतर आवगमन को सुचारू रखने के लिए जिलो के विभिन्न स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा लोगो में जागरूकता बढ़ाना । प्रत्येक महीने में विभिन्न केन्द्रो पर कम से कम 05 दिन पर अभियान चलाना ।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में पर्याप्त स्टाफ स्पॉर्ट, प्रशिक्षण हेतु वास्तविक लाभार्थियों के आवेदनों का निर्बाध रूप से आवागमन जारी रखने, प्रशिक्षण का प्रशासन, एवं प्रशिक्षोपरान्त Follow up आदि की समीक्षा ।
4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण मोडयूल, व्यवहारिक प्रशिक्षण का सत्र, सक्षम अतिथि फैकल्टी की सुविधा, बाजार सर्वेक्षण, व्यावसायिक योजना, परियोजना प्रतिवेदन आदि ।

5. BPL प्रशिक्षणार्थियों के लंबित प्रशिक्षण राशि का भुगतान ।
6. RSETI हेतु भूमि की उपलब्धता व उस पर RSETI का कब्जा तथा भवन निर्माण की स्थिति ।
7. RSETI के VTP registration की स्थिति
8. RSETI की ग्रेडिंग में सुधार
9. Bank Credit & Settlement
10. RSETI का infrastructure, Visibility
11. प्रशिक्षण लक्ष्य की प्रगति
12. प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के मामले पर विचार एवं अनुशंसा

अनुरोध है कि RSETI हेतु LAC की बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं पर समीक्षा करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन




(अरविन्द कुमार चौधरी)

आयुक्त, स्वरोजगार

ज्ञापांक 175537 /

पटना, दिनांक 28/01/2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त/ सभी आरसेटी निदेशक/सभी बैंको के महाप्रबंधक/ समन्वयक, एस0एल0वी0सी0, पटना/ राज्य परियोजना समन्वयक (आरसेटी)/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0एल0पी0एस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



आयुक्त, स्वरोजगार

ज्ञापांक 175537 /

पटना, दिनांक 28/01/2014

प्रतिलिपि:- मंत्री, के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव के मुख्य आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



आयुक्त, स्वरोजगार